क्रम संख्या–56

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0
फाल्गुन 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 48/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान 2004–2005) विधेयक, 2004 पर श्री राज्यपाल ने दिनांक 27 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2004)

01–04–2004 से 31–07–2004 की अवधि में सेवाओं पर व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

उत्तरांचल की समेकित निधि में से वर्ष 2004—2005 के लिये रु0 28187573000 का दिया जाना

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ—2 में दी गई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ—7 एवं 9 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग उत्तरांचल विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, सन् 2004) की अनुसूची के स्तम्भ—8 एवं 10 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके रुपया 28187573000 (रुपये दो हजार आठ सौ अठठ्ारह करोड़ पचहत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है

(हजार रुपये में)

अनुदान/क्रम तथा उसका विवरण	कुल मांग				योग (3+4+5+6)	1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 हेतु आवश्यक धनराशि				
	राजस्व		पूंजी			राजस्व		पूंजी		
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	योग
1 2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
01— विधान सभा	55537	5764			61301	18517	1922			20439
02— राज्यपाल		17712			17712		5907			5907
03— मंत्रिपरिषद्	100651				100651	33552				33552
04— न्याय प्रशासन	298085	87953	300000		686038	113946	29320	200000		343266
05— निर्वाचन	144757				144757	110149				110149
06— राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1443004	6855	445000		1894859	571490	2955	378334		952779
07— वित्त, कैर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	9396658	8270148	470503	9622156	27759465	3994341	3363679	156835	3471549	10986404
08— आबकारी	32575		30000		62575	10859		10000		20859
09— लोक सेवा आयोग		28842		15000	43842		9615		5000	14615
10— पुलिस एवं जेल	2531104		412203		2943307	907721		150804		1058525
11— शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति	11707353		479983		12187336	3929919		205384		4135303
12— चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	2117311		536810		2654121	705840		178941		884781
13— जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	2630427		110001		2740428	1045072		36668		1081740
14— सूचना	113204				113204	37739				37739
15— कल्याण योजनायें	1810899		210258		2021157	603570		70083		673653

अनुसूची

31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऐसे व्यय का अनुमान जिसके लिये लेखानुदान की आवश्यकता है (हजार रुपये में)

अनुदान/क्रम तथा उसका विवरण	कुल मांग				योग (3+4+5+6)	1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2004 हेतु आवश्यक धनराशि				
	राजस्व		पूंजी			राजस्व		पूंजी		योग
	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित		मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	
1 2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
16— श्रम और रोजगार	289137		2		289139	96431		2		96433
17— कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1571644		13602		1585246	623287		4536		627823
18— सहकारिता	104620		60036		164656	34881		20012		54893
19— ग्राम्य विकास	1975606		377032		2352638	658549		125679		784228
20— सिंचाई एवं बाढ	1573697		597697		2171394	524578		199233		723811
21— ऊर्जा	910205	500	3236305		4147010	303409	167	2078772		2382348
22— लोक निर्माण कार्य	1714947	13680	1783156		3511783	589482	4561	702734		1296777
23— उद्योग	349829		1334509		1684338	116617		444844		561461
24— परिवहन	74643		170001		244644	24886		70002		94888
25— खाद्य	129382		5901		135283	42932		1967		44899
26— पर्यटन	141004		319600		460604	47008		173200		220208
27— वन	1862667		26600		1889267	617258		8867		626125
28— पशुपालन संबंधी कार्य	422826		53001		475827	140949		17667		158616
29— औद्यानिक एवं रेशम विकास	463654	2378	1		466033	154558	793	1		155352
योग :	43965426	8433832	10972201	9637156	73008615	16057540	3418919	5234565	3476549	28187573
राजस्व/पूंजी का कुल योग :	52399258		20609357		73008615	19476459		8711114		
महायोग (कुल मांग एवं आवश्यक मांग)	73008615				73008615	28187573				

आज्ञा से,

बी० लाल,

सचिव।